रजिस्ट्री सं. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 20, 1993/श्रावण 29, 1915

No. 496] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 20, 1993/SRAVANA 29, 1915

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना सं. 11 (आर ई)/92-97

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1993

का. आ. 630(अ) :—विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. मां.आ. 222(च), दिनांक 31 मार्च, 1993 के अन्तर्गत प्रकाशित निर्यात-आयात नीति, 1992–97 (संशोधित संस्करण मार्च, 1993) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

(1) अध्याय 10, पैरा 121 में उप-पैरा (ङ) की प्रविष्टि सं. 14 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा :—

"स्वीडन का अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (एस आई डी ए)"

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फाइल सं. 6/58/93-आई पी सी-2]

अजीत कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION NO. 11 (RE)/92-97

New Delhi, the 20th August, 1993

S.O. 630(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), the Central Government hereby makes the following amendments in the Export and Import Policy, 1992-97 (Revised Edition : March, 1993) published under the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 222(F) dated the 31st March, 1993 :

(i) In Chapter X, paragraph 121, following shall be added after entry No. 14 of sub-paragraph(e) :

"15. Swedish International Development Authority (SIDA)".

2. This issues in public interest.

[File No. 6/58/93-IPC-II]

AJIT KUMAR, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993